an>

Title: Demand to update the reservation forms of railway to include insurance cover.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (डिंडोरी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का, खासकर रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 20 नवम्बर और 21 नवम्बर, 2016 के बीच, रात तीन बजे इंदौर-पटना एक्सप्रेस का जो दर्दनाक हादसा हुआ,...(व्यवधान) उसमें लगभग 150 लोगों को जान गंवानी पड़ी और 180 लोग बुरी तरह से घायल हुये हैं।...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि इस हादसे में मरे हुए लोगों में से 128 लोगों ने "अपघाती बीमा " चुन कर रेल टिकट निकलवाया था और कुल 698 लोगों के रिजर्वेशंस में से 128 मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों को कितना बीमा दिया गया है और जिन लोगों ने "अपघाती बीमा " चुन कर टिकट लिया था, उनको कितनी आर्थिक मदद दी गयी है?...(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास मौजूदा रेलवे रिजर्वेशन फार्म उपलब्ध है जिसमें किसी भी तरक का इंश्योरेंस समेत टिकट निकलवाने का कोई कॉलम नहीं दिया गया है,...(व्यवधान) ऐसे में यात्री बिना इंश्योरेंस यात्री टिकट निकालें तो 10,00,000 रूपये तक का बीमा नहीं मिल पायेगा, यदि नहीं तो मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि मौजूदा फॉर्म को अपडेट कराकर ही यात्री को उपलब्ध कराया जाये,...(व्यवधान) क्योंकि रेल यात्रियों की जिंदगी और परिवार का सवाल है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन - उपस्थित नहीं।

श्री पी. करूणाकरण - उपस्थित नहीं।

श्री लखन लाल साहू।